निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 191/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र )

जगदीश पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम डूंगा का बास, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री ललित कुमार मीणा आर.ए.एस. लिंक पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ़ जयपुर ग्रामीण।

2 जितेन्द्र कुमार पुत्र छोटू लाल

3 मनफूल देवी पत्नी छोटू लाल

समस्त जाति बलाई निवासी डी–57, फेज–2, इन्द्रा नगर, झालाना डूंगरी, जयपुर ।

4 कैलाशी देपी पत्नी रामजीलाल

5 तारामचन्द पुत्र रामजीलाल

6 भवानी सिंह पुत्र रामजीलाल

7 सुगना पुत्री रामजीलाल

8 सुन्दरलाल पुत्र प्रभात

9 सुपात्र पुत्री रामजीलाल

10 सम्पत्ति पुत्री रामजीलाल

11 सुलोचना पुत्री रामजीलाल

12 हरफूल पुत्र प्रभाव

समस्त जाति रेगर, निवासी ग्राम डूंगा का बास, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण।

13 कालूराम पुत्र प्रभू

14 गोपाल पुत्र प्रभू

15 बंशी पुत्र प्रभू

16 महफर पुत्र प्रभू

17 शान्ति देवी पत्नी प्रभू

18 सुमन पुत्री प्रभू

19 सावर पुत्री प्रभू

20 सीता पुत्री प्रभू

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम डूंगा का बास, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण।

21 गेन्दी पत्नी शिम्भू दयाल

22 सुल्तान पुत्र शिम्भू दयाल

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम डूंगा का बास, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 158/2024 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 133/2024 ब उनवानी जगदीश बनाम जितेन्द्र कुमार व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री रमेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सी॰ एम॰ वर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व3 की ओर से ।

**निर्णय** **दिनांक 26.11.2024**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 158/2024 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 133/2024 ब उनवानी जगदीश बनाम जितेन्द्र कुमार व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री सी॰ एम॰ वर्मा ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वास्ते तलबी शेष अप्रार्थीगण व जबाब दावे के लिए नियत है जिसमें प्रतिवादी संख्या एक व दो के बाबत प्रार्थना पत्र अथाई निषेधाज्ञा पेश कर उक्त पत्रावली दिनांक 26.09.2024 वास्ते बहस हेतु स्टे नियत फरमा दी है । जबकि उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में सम्पूर्ण पक्षकारों की अभी तक तलबी भी नही हुई है ना ही सभी पक्षों के जबाब ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुये है। इसके उपरोन्त उक्त पत्रावली में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 23.08.2024 को खारिज करने के आशय से उक्त पत्रावली बहस स्टे हेतु नियत फरमा दी है । पीठासीन अधिकारी का प्ररकण में रवैया अप्रार्थीगण के पक्ष में जाहिर हो रहा है तथा येन केन प्रकारेण प्रकरण का फौरी तोर पर निस्तारण करने पर आमादा है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी का उक्त कन्डेक्ट उक्त पत्रावली में साफ दृष्टित हो रहा है। अप्रार्थीगण खुलेआम यह जाहिरा तौर पर दिनांक 24.09.2024 को कह रहा है कि उक्त हस्तगत प्रकरण का फैसला दिनांक 26.09.2024 को उनके पक्ष में ही होगा। हमारी पीठासीन अधिकारी से बात चीत हो गई है। उपरोक्तानुसार साफ जाहिर हो गया है कि प्रार्थी को उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है । इस कारण प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में कानूनन व न्यायहित में ट्रान्सफर किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।
5. अप्रार्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय से तहसील के जबाब आने तक स्थगन आदेश पारित कर रखा है तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया जा चुका है, किंतु प्रार्थी स्थगन पर बहस नहीं करना चाहता ।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की दृष्टि से झूठे व काल्पनिक तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है । यदि प्रार्थी के कथनानुसार उक्त वाद का स्थानान्तरण कर दिया जाता है तो जवाब दाता अप्रार्थीगण के अधिकारों पर कुठाराघात होगा । साथ ही अप्रार्थीगण सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त करने से वंचित हो जावेंगें और पक्षकारों को अनावश्यक खर्च भी वहन करना पडगा जो कानूनी प्रकिया के दुरूपयोग किये जाने के समान है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश फरमावें ।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. सहायक कलक्टर (फास्ट टैक) जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है । प्रार्थी ने ही अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से स्थगन प्राप्त कर रखा है ओर प्रार्थी द्वारा ही यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में दिनांक 04.10.2024 को शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश हुआ था। प्रार्थी द्वारा अभी तक शेष पक्षकारान की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये और दौराने बहस नोटिस जारी कराने कानिवेदन किया है। जिससे भी प्रार्थी की प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा जाहिर होती है। जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी ने केवल मात्र कयास के आधार पर एवं प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने के मकसद से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया जाना पाया गया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18, एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं माना है। सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर व मनन करने पर यह परिलक्षित होता है कि सहायक कलक्टर (फास्ट टैक) जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति इस्ब कायदा सहायक कलक्टर (फास्ट टैक) जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 26.112024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी )
जिला कलक्टर
जयपुर ( ग्रामीण )